न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2021-170RAAJodhpur2021-78RTA223 Bhabhutram ors Vs Hapuram etc
2021-183RAAJodhpur2021-55RTA223 Hapuram Vs Bhabutram etc

1. भभूतराम उर्फ जोगाराम पुत्र बालुराम
2. चेनाराम पुत्र बालूराम
3. धन्नाराम पुत्र बालुराम
   सभी जातियान् जाट, निवासीगण– ग्राम मलार, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

01. हापुराम पुत्र मंगलाराम, जाति जाट, निवासीगण– गांव जवासिया, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
02. तहसीलदार पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16 मार्च 2021 सहायक कलक्टर पीपाड़ शहर राजस्व मूल वाद संख्या 146/2016 हापुराम व अन्य बनाम भबूतराम इत्यादि

———————

उपस्थितः–

श्री जगदीश प्रजापत, अधिवक्ता अपीलांट्स
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 02

(02)2021-183RAAJodhpur2021-55RTA223 Hapuram Vs Bhabutram etc

हापुराम पुत्र मंगलाराम, जाति जाट, निवासीगण– गांव जवासिया, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. भभूतराम उर्फ जोगाराम पुत्र बालुराम
2. चेनाराम पुत्र बालूराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

3. धन्नाराम पुत्र बालुराम
   सभी जातियान् जाट, निवासीगण– ग्राम मलार, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16 मार्च 2021 सहायक कलक्टर पीपाड़ शहर राजस्व मूल वाद संख्या 146/2016 हापुराम बनाम भबूतराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री जगदीश प्रजापत, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक से तीन
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या चार

नि र्ण य

दिनांक : 15 जनवरी 2025

दोनो अपीलों के अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 146/2016 अनवान हापुराम बनाम भबूतराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16 मार्च 2021 के खिलाफ आलौच्य अपीले अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत क्रमशः 28 जून 2021 एवं दिनांक 08 अप्रैल 2021 को प्रस्तुत की है।

अपील संख्या 78/2021 में अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

दोनो अपीलों की विषय–वस्तु, प्रकृति एवं पक्षकारान् एवं कानूनी बिंदु समान होने से एक ही निर्णय में निस्तारित की जा रही है। प्रत्येक अपील में अलग– अलग निर्णय प्रति रखी जावे।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक (अपील संख्या 78/2021 के अनुसार) ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 520/1 रकबा 8 बीघा ग्राम रियां तहसील पीपाड़ शहर के संबंध धारा 88, 188

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16 मार्च 2021 को वाद खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर उभय पक्ष की ओर से दोनो अपीले प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स(अपील संख्या 78/2021) ने तथ्यों को दोहराते हुए अपनी में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद खारिज करने क बाद तहसीलदार को तरमीम दुरूस्ती का आदेश देने में विधिक त्रुटि की गई है। इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण इसी आधार पर खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने दावे के निर्णय के साथ प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम का निर्णय करने में विधिक त्रुटि की गई हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी के वाद के साथ प्रतिवादी के काउंटर क्लेम का निर्णय भी किया जाना आवश्यक था। विचारण न्यायालय द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा के वाद में स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने में भारी विधिक भूल की गई है। यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा वाद के साथ प्रस्तत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी स्वीकार कर वादी को प्रतिवादीगण की भूमि में दखलंदाजी पैदा नही करने एवं रास्ता नहीं निकालने का आदेश दिया था। विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस जारी रखते हुए निवेदन किया कि मूल खातेदार रामदीन से उसकी खातेदारी भूमि खसरा नं. 520 कुल रकबा 64.01 बीघा में सें 8 बीघा भूमि जवरीलाल ने सन् 1966 में खरीद की थी, उस भूमि का नामांतरकरण स्वीकार किया जाकर जवरीलाल को खसरा नं. 520/1 रकबा 8 बीघा का खातेदार दर्ज कर नक्शा ट्रेक में खरीद की भूमि के पास खसरा नं. 520 के उतरी पूर्वी कोने के पास तरमीम कर दी। उसी अनुसार जवरीलाल व उसके उतराधिकारी काबिज रहे तथा जवरीलाल के उतराधिकारियों ने उसी भूमि का बेचान हापुराम को किया था, लेकिन हापुराम खरीद की गई भूमि से दूसरी जगह काबिज होना चाहता है, जिसके लिये उसने गलत दावा पेश किया था, लेकिन उसका दावा खारिज करने के बाद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण का काउंटर क्लेम खारिज करने में त्रुटि की गई हैं। विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारान् की ओर से प्रस्तुत मौखिक दस्तावेजी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

साक्ष्य का तनकीवार विवेचन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय पारित होने के पश्चात कोविड–19 महामारी के कारण लॉकडाउन लागू होने के कारण अपीलांट्स समय पर अपील प्रस्तुत नहीं कर सके। इस कारण उक्त विलंब न्याय हित में क्षमा किया जावे।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलांट्स के काउंटर क्लेम को स्वीकार फरमाया जावे एवं वादी/रेस्पो. को पाबंद फरमाया जावे कि वह मूल खातेदार द्वारा रजिस्ट्री बेचान दिनांक 15.10.1989 के अनुसार पड़ोस की भूमि में प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी एवं हस्तक्षेप नहीं करे तथा किसी भी भाग से रास्ता निकालने की कोशिश नहीं करे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स अधिवक्ता(अपील संख्या 55/2021 के अपीलांट्स) ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर दावे को खारिज कर दिया गया, जबकि दावा हर सूरत में स्वीकार योग्य था। विचारण न्यायालय द्वारा वाद में वाद विचारण की प्रक्रिया की पालना नहीं की गई। विचारण न्यायालय ने वाद में तनकीयात कायम की एवं शहादत भी दर्ज की, परन्तु किसी भी वाद बिंदु पर कोई निर्णय ही नहीं दिया एवं दावे को खारिज कर दिया, जबकि सभी वाद बिंदुओं को विधिवत निर्णित किया जाना चाहिए था, इसी बिनाय पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी/वादी के खातेदारी खसरा नं. 520/1 रकबा 08 बीघा राजस्व रेकर्ड में पुख्ता तरमीम सुदा है, जबकि रेस्पोडेंट ने बहुत समय बाद उसी खसरे मे सें भूमि क्रय की है। अपीलार्थी पहले से काबिज था एवं बेचाननामा में पड़ौस भी दर्शाये गये उसी अनुसार तरमीम की गई है। इन तमाम बिंदुओं पर विचारण न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया एवं पक्षकारान् के तर्को एवं वितर्को को मानने अथवा नहीं मानने का कोई कारण निर्णय में नहीं दिया। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं आने से अपास्त योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अंत में विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील संख्या 55/2021 स्वीकार फरमायी जावे एवं माफिक अनुतोष वादी का वाद स्वीकार फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील संख्या 78/2021 को प्रस्तुत करने में हुए विलंब का प्रश्न है, राष्टव्यापी कोविड–19 महामारी के प्रकोप के चलते न्यायालय में न्यायिक कार्य बाधित होने तथा आमजन के आवागमन पर सरकार द्वारा पाबंदिया लगाये जाने से अपीलांट्स समय पर अपील प्रस्तुत नहीं कर सके। लिहाजा न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील संख्या 78/2021 गुणागुण पर निस्तारण हेतु अंदर म्याद शुमार की जाती है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा वाद एवं जवाबदावा मय कांउटर क्लेम के आधार पर मामले में तनकीयात कायम की जाकर पक्षकारान् से साक्ष्य लिया जाना पाया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री पारित करते वक्त विरचित तनकीयात पर अपना निष्कर्ष पारित किये बिना तथा धारा 188 की मंशा के अनुसार विधिनुसार स्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में आदेश पारित किये बिना वादी के वाद एवं प्रतिवादीगण के कांउटर क्लेम को खारिज किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधिक प्रावधानों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरती है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर दोनो अपीले आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 146/2016 अनवान हापुराम बनाम भबूतराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16 मार्च 2021 खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वाद विचारण की प्रक्रिया की पालना करते हुए उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर उभय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए मामले में तनकीवार विवेचन करते हुए मूल वाद का निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर